



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 704]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 7, 2006/आषाढ़ 16, 1928

No. 704]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 7, 2006/ASADHA 16, 1928

वस्त्र मंत्रालय

(पटसन आयुक्त का कार्यालय)

अधिसूचना

कोलकाता, 7 जुलाई, 2006

का.आ. 1019(अ).—दिनांक 28 अक्टूबर, 2005 के अधिसूचना संख्या का.आ. 1547(अ), तथा दिनांक 9 नवम्बर, 2005 के शुद्धिपत्र के अधिसूचना संख्या का.आ. 1580(अ), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, शुभकीर्ति मजुमदार, पटसन आयुक्त, पटसन तथा पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2000 के खण्ड 3(4) तथा 3(5) के अन्तर्गत कच्चे पटसन के विभिन्न प्रकार जैसे मेस्ता, बिमली या उस श्रेणी के लिए अधिसूचना संख्या का.आ. 1746(अ), दिनांक 12-12-2005 द्वारा निर्धारित उचित मूल्य, जो अगले आदेश तक लागू रहेगा। दिनांक 12-12-2005 के अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि पटसन तथा पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2000 के खण्ड 3(6) के अन्तर्गत कोई भी विक्रेता, व्यापारी या एजेंसी किसी भी व्यक्ति को दिनांक 12-12-2005 के अधिसूचना के अनुसूची में उल्लिखित उचित मूल्य से अधिक मूल्य में कच्चे पटसन बेचने या बेचने का प्रस्ताव देने अथवा खरीदने या खरीदने का प्रस्ताव नहीं दे सकेंगे।

जैसा कि जूट वर्ष 2005-2006 (जुलाई-जून) 30-6-2006 को समाप्त होने जा रहा है तथा वर्ष 2006-2007 के लिए बाजार में जुलाई माह से नया कच्चा पटसन (जूट) आने वाला है, मैं, शुभकीर्ति मजुमदार, पटसन आयुक्त, एतद्द्वारा दिनांक 12-12-2006 के अधिसूचना संख्या का.आ. 1746(अ), को दिनांक 1-7-2006 से निरस्त करता हूँ।

[फा. सं. 5/13/2003-जूट]

शुभकीर्ति मजुमदार, पटसन आयुक्त

MINISTRY OF TEXTILES

(OFFICE OF THE JUTE COMMISSIONER)

NOTIFICATION

Kolkata, the 7th July, 2006

S.O. 1019(E).—In exercise of powers conferred by No. S.O. 1547(E), dated 28-10-2005 and corrigendum notified by No. S.O. 1580(E), dated 9-11-2005, I Subhakirti Majumdar, Jute Commissioner, under Clause 3(4) and 3(5) of Jute and Jute Textiles Control Order, 2000 fixed the reasonable price of different varieties of raw jute, mesta or bimli or grades thereof *vide* Notification No. S.O. 1746(E), dated 12-12-2005 which was valid until further orders. It has also been stipulated in the Notification dated 12-12-2005 that under Clause 3(6) of Jute and Jute Textiles Control Order, 2000 no dealer, trader or agencies shall sell or offer to sell any person offer to purchase or purchase any raw jute at a price exceeding the reasonable price mentioned in the schedules to the notification dated 12-12-2005.

As the jute year 2005-2006 (July-June) is drawing to an end on 30-6-2006 and new raw jute for the jute year 2006-2007 will be arriving in the markets from July, 2006 onwards, I Subhakirti Majumdar, Jute Commissioner hereby withdraw the Notification No. S.O. 1746(E), dated 12-12-2005 with effect from 1-7-2006.

[F. No. 5/13/2003-Jute]

S. MAJUMDAR, Jute Commissioner